

1557  
स्थाई मान्यता

प्रेषण  
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
हरिद्वार

सेवा में

प्रबन्धक/प्रधानाध्यापक,

~~महर्षि विद्या मन्दिर~~

~~कनखला - हरिद्वार~~

दिनांक:- 31.3.98


पनां- 18797


197-98

विद्युत- प्राईमरी विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक की स्थाई मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में

महोदय,  
उपर्युक्त विषयक आपके मान्यता सम्बन्धी आवेदन पत्र पर जिला मान्यता समिति बैठक दिनांक 13.2.98 में लिए गये निर्णय के अनुसार आपके विद्यालय को प्राईमरी स्तर की स्थाई मान्यता निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है। आपके द्वारा इन प्रतिबन्धों का पालन न करने पर विद्यालय की यह मान्यता किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

- 1- विद्यालय की प्रबन्धा समिति का समय-समय पर पंजीकरण का नवीनीकरण कराया जाये।
- 2- विद्यालय में समस्त अध्यापक/अध्यापिकाएँ प्रशिक्षित नियुक्त की जाये।
- 3- विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों/कर्मचारियों को परिष्करीय अध्यापकों/कर्मचारियों के समान वेतनक्रम तथा भंडगाई भत्ता आदि का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाये।
- 4- विद्यालय के छात्रों से सभी प्रकार का शुल्क 15/- रु० प्रति माह से अधिक न लिया जाये।
- 5- विद्यालय में छात्र/छात्राओं को शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत पाठ्य क्रम पढ़ाया जाये।
- 6- विद्यालय की कोई अन्य शाखा किसी भी स्थान पर संचालित न किया जाये और न ही विद्यालय में अनियमित कक्षा संचालित की जाये।
- 7- समय-समय पर निर्गत शासनादेशों तथा विभागीय आदेशों का पालन करना आवश्यक है।

  
PRINCIPAL  
MAHARISHI VIDYA MANDIR  
LAKSHAN ROAD, JAGJEETPUR  
HARIDWAR, PIN CODE-249408

भवदीया  
  
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
हरिद्वार

पृ० सं०-प्रि० सं०

197-98 दिनांक उक्त तिथि को।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- शिक्षा अधीक्षक नगर क्षेत्र हरिद्वार
- 2- उप बेसिक शिक्षा अधिकारी हरिद्वार

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
हरिद्वार

प्रेषक - सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)  
सहारनपुर मंडल, सहारनपुर ।

सेवा में,

प्रबन्धक/प्रधानाध्यापक,

महोदय/विद्या मन्दिर  
कनखवा, हरिद्वार

पत्रांक - मान्यता/504-591/1999-2000

दिनांक 20-8-99

विषय- अशासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 6 से 8 तक) अस्थायी मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय/महोदया,

शासनादेश संख्या - 646/15-6-97-18एस(7)/89 दिनांक 13-8-97 में दिये गये अधिकारी के अन्तर्गत गण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 14-0-1999 में लिये गये निर्णयानुसार आपके विद्यालय की कक्षा 6 से 8 तक की अस्थायी मान्यता शैक्षक सत्र 1999-2000 से प्रदान की जाती है । प्रत्येक कक्षा हेतु एक वर्ग की अनुमति भी प्रदान की जाती है ।

शासनादेश में विहित मानकों के अनुसार आपके विद्यालय हेतु निम्नलिखित शिक्षक एवं शिक्षापेत्तर कर्मचारियों के पद अनुमान्य होंगे :-

प्रधानाध्यापक	-	एक
सहायक अध्यापक	-	चार
लिपिक	-	एक
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	-	एक

उक्त जनशक्ति में शिभाषा/क्राफ्ट अध्यापक माने जायेंगे । शासकीय विभागीय आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा, पालन न करने की स्थिति में मान्यता प्रत्याहरण का अधिकार उOप्रO बेसिक शिक्षा परिषद को होगा ।

PRINCIPAL  
MAHARISHI VIDYA MANDIR  
LAKSAR ROAD, JAGJEETPUR  
HARIDWAR, PIN CODE-249408

भवदीय,

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)  
सहारनपुर मंडल, सहारनपुर ।

पूरा/मान्यता/ /1999-2000/तददिनांक

प्रतिनिधि - निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- उपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उOप्रO शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद ।
- 2- सचिव, उOप्रO बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद ।
- 3- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार । सुभाषपुर-397 । सहारनपुर
- 4- लेखाधिकारी, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार । सुभाषपुर-397 । सहारनपुर
- 5- जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार । सुभाषपुर-397 । सहारनपुर
- 6- उप-बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार । सुभाषपुर-397 । सहारनपुर
- 7- सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी विकास क्षेत्र -
- 8- नगर शिक्षा अधिकारी, नगरक्षेत्र -
- 9- समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर मंडल, सहारनपुर ।
- 10- कार्यालय गार्ड फाइल ।

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)  
सहारनपुर मंडल, सहारनपुर ।